न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

22/2026

श्री मोहसीन रशीद खान पुत्र आहसन रशीद खान निवासी ताज मंजिल, ताज स्टूडियो के पास राज टाकिज रोड़, नजर बाग टोंक तहसील व जिला टोंक ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1. वर्ष 2022 से अभी तक जिन जिन के द्वारा भी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए गए हैं परंतु उनको फ़ायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नही दिए गए उनकी सूची उपलब्ध कराएं।

2. टोंक नगर परिषद टोंक द्वारा वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025 में 1. सेंट पॉल कॉन्वेंट कॉलेज टोंक, 2. आलोक पब्लिक स्कूल, टोंक 3. विवेकानंद स्कूल, शागिर्द पेशा, टोंक 4. यूरो किड्स स्कूल, टोंक 5. किड ज़ी प्ले स्कूल, कोठी नातमाम रोड, टोंक 6. बचपन प्ले स्कूल, टोंक को जारी किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं, एवं जिन जिनको जिस वर्ष में ना दिया गया हो उसके आगे अंकित करें कि " वर्ष — अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नही दिया गया है " ।

3. टोंक नगर परिषद में मौजूद सभी शाखाओं द्वारा निम्न लिखित क्रमांक पर जारी किए गए पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उक्त पत्र क्रमांक नगर परिषद टोंक की समस्त शाखाओं (जैसे स्टोर, गेराज, निर्माण इत्यादि) के सभी डिस्पेच रिजस्टरों में जहाँ जहाँ भी दर्ज हों हर डिस्पेच रजिस्टर के उक्त पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं :— ध्यान रखें समस्त शाखाओं के उक्त क्रमांक पर जो पत्र था उसकी एवं उक्त क्रमांक पत्र समस्त शाखाओं के समस्त डिस्पेच रजिस्टरों में जिस दिनांक को दर्ज किया गया हो उस पृष्ठ की प्रमाणित प्रतिलिपि दोनों चीज़ें उपलब्ध कराएं :— 1. क्रमांक 986 दिनांक 4/10/2021 — स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को 2. क्रमांक 986 समस्त शाखाओं द्वारा जिस भी दिनांक को हो — स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 302 दिनांक 16.02.2026 व 406 दिनांक 4.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 110

808

जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक 11.03.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध आयुक्त नगर परिषद, टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 1244 दिनांक 24.12.2025 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 1245 दिनांक 24.12.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट आयुक्त नगर परिषद, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)